14वीं विधानसभा, 8वाँ सत्र

प्रश्न सं. 6457 आईएम नम्बर-621

अतारांकित

प्रदेश में इलैक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता देने हेतु गठित कमेटी

श्री मोहन लाल गुप्ता

प्रश्न

(1) क्या यह सही है कि इलैक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा लीगल व गुणावगुण कमेटी बनाई गई है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कमेटी के द्वारा अब तक के किये कार्य/मींटिंग/प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर-

(1) जी हां। विभागीय आदेश क्रमांक प.2(15) आयु./2005 दिनांक 07.04.2015 द्वारा दो समितियां गठित की गई हैं।

(2) लीगल आस्पेक्ट समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। गुणावगुण के आधार पर विचार विमर्श कर औचित्यूर्ण प्रस्तावों हेतु गठित समिति की रिपोर्ट अप्राप्त है।

(3) लीगल आस्पेक्ट समिति की अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई। गुणावगुण के आधार पर विचार विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्तावों हेतु गठित समिति द्वारा समय-समय पर बैठकें की गई हैं परन्तु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।